कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर, कैम्प जयपुर

क्रमांक :प.32(बी)(1)आब / एल / 08 / 2569 दिनांक : 21.01.2008

भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों के लिए सूचना

राज्य के समस्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर के रिटेल ऑफ (कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें जारी अनुज्ञापत्र को वर्ष 2008–09 हेतु नवीनीकृत करा सकने का विकल्प निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है:–

(1) वर्ष 2008–09 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ दुकानों का अनुज्ञाशुल्क निम्नानुसार होगा :–

क.सं.	शहर / कस्बे का विवरण	वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की राशि (लाख रूपये में)
1	जयपुर एवं जोधपुर	3.80
2	अन्य संभागीय मुख्यालय, जैसलमेर एवं माउण्ट आबू	3.15
3	अन्य जिला मुख्यालय	2.50
4	उक्त के अलावा शेष समस्त नगरपालिकाऐं	1.85

(2) आवेदन के साथ वर्ष 2008–09 की वार्षिक लाईसेंस फीस एवं इस राशि की 1.00 प्रतिशत (एक प्रतिशत) राशि बतौर नवीनीकरण आवेदन शुल्क, जमा करवा कर चालान / ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(3) निर्धारित समय के पश्चात् एवं निर्धारित राशि जमा कराये बिना प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

अतः भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर रिटेल ऑफ (कम्पोजिट दुकानों को छोडकर) अनुज्ञाधारियों को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि वह अपने अनुज्ञापत्र का वर्ष 2008–09 हेतु नवीनीकरण करवाने के इच्छुक है तो समस्त भागीदारों की ओर से नवीनीकरण हेतु आवेदन सादे कागज पर तथा उक्त अनुसार पूरी राशि जमा करवा कर दिनांक **13.2.2008** को 3.00 पी.एम. तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें।

(सी.पी.व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर
कैम्प – जयपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :प.32(बी)(1)आब / एल / 08 / 2568 दिनांक : 21.01.2008

देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों के लिए सूचना

राज्य के समस्त देशी अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें वर्ष 2007–08 में जारी अनुज्ञापत्र का वर्ष 2008–09 हेतु नवीनीकरण कराने का विकल्प निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है :–

(1) वर्ष 2008–09 हेतु मदिरा समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण आवेदक अनुज्ञाधारी की वर्ष 2007–08 की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में 8 प्रतिशत राशि जोडकर किया जायेगा।

(2) वर्ष 2008–09 की एकाकी विशेषाधिकार राशि रू. 10.00 लाख तक होने पर नवीनीकरण आवेदन शुल्क रू. 1500 / – तथा शेष मामलों में रू. 3000 / – होगा।

(3) नवीनीकरण के इच्छुक अनुज्ञाधारी बेसिक लाईसेंस फीस (वर्ष 2008–09 की उक्तानुसार निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का 12.5 प्रतिशत) की आधी राशि अर्थात वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 6.25 प्रतिशत एवं नवीनीकरण आवेदन शुल्क की राशि के बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद सहित समस्त भागीदारों की ओर से सादे कागज पर आवेदन दिनांक **15.2.2008** को 3.00 पी.एम. तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें।

(4) नवीनीकरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक को बेसिक लाईसेन्स फीस की अवशेष आधी राशि (वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 6.25 प्रतिशत राशि) दिनांक 29.2.2008 तक तथा धरोहर राशि (जो कि वर्ष 2008–09 की एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.5 प्रतिशत होगी) दिनांक 15.3.2008 तक जमा करानी होगी। बेसिक लाईसेन्स फीस की दूसरी किश्त तथा धरोहर राशि उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाने की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करवाई गई बेसिक लाईसेंस फीस की राशि राजसात कर ऐसे समूह के पुनः बंदोबस्त की कार्यवाही की जायेगी।

(5) वर्ष 2008–09 हेतु कम्पोजिट फीस भी नियमानुसार पृथक से जमा करानी होगी।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् एवं निर्धारित राशि जमा कराये बिना प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

(सी.पी.व्यास)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर
कैम्प – जयपुर